

17.8.2021

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के क्रमांक 1 से 7 तक के अभिशुक्त
न्यायालय में उपस्थित हुए। इनके द्वारा वकालतनामा दिया गया है।
SC संलग्न है। सभी को द.प्र. सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित
किया जाता है। द्वितीय पक्ष के सभी सदस्य अगली तिथि को
5,000/- (पाँच हजार रुपये) मात्र के प्रतिभूति के साथ उपस्थित
होकर बंध पत्र जमा करेंगे। अभिलेख दिनांक 18.8.2021
को रखें।

Bal
18/08/21

18.8.2021

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनु. / पुनः अभिलेख 19.8.2021
को रखें।

Bal
19/08/21

19.8.21

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। अभिलेख दिनांक 4.9.
2021 को रखें। अनुपस्थित सदस्यों को नोटिश निर्गत करें।

Bal
19/08/21

4.9.2021

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अशोक राउत वकालतनामा के साथ
उपस्थित होकर SC जमा किया एवं अन्य अनुपस्थित। मुहरम का त्योहार
शान्ति पूर्ण सम्पन्न हो गया है। अतः वाद के आगे की कार्यवाही
को बंद किया जाता है।

Bal
04/09/21